वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 04.03.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर “,अमर उजाला, दैनिक जागरण, जागरूक एक्सप्रेस, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 04.03.2025

अवैध पंप पर करें कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने सोमवार को वीडीए में साप्ताहिक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराएं। उन्होंने कहा कि शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, शमन शुल्क की वसूली तेज करें। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 04.03.2025

वरुणा कॉरिडोर के दायरे के निर्माण ध्वस्त, दो सील

वाराणसी। वरुणा कॉरिडोर के दायरे में हो रहे अवैध प्लॉटिंग को वीडीए ने सोमवार को ध्वस्त कराया। इसके अलावा दो अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। सिकरौल वार्ड के ढेलवरिया बघवानाला के पास वरुणा कॉरिडोर के 50 मीटर दायरे में अज्ञात की ओर से 4000 वर्गमीटर में अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही थी। इन्हें पूर्व में वीडीए की ओर से नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके काम कराने पर वीडीए ने अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराई गई। सिकरौल वार्ड के आशियाना चौराहा वरुणा पुल के पास राजाराम यादव की ओर से बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसे वीडीए ने सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया। भेलूपुर में निषाद खन्ना की ओर से गुरुधाम में बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराया जा रहा था। इसे सील किया गया। ब्यूरो

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में बिके 49 प्लॉट

वाराणसी। वीडीए की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर योजना के ऑनलाइन ऑक्शन में 49 प्लाट बिके। बाकी 5 प्लाटों के लिए सोमवार को वीडीए में बैठक होगी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार 54 प्लॉट हैं। बाकी बचे 5 प्लॉटों की बिक्री जल्द कराई जाएगी। प्लाटों की बिक्री के लिए ऑनलाइन ऑक्शन 8 से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इसमें प्लाटों की नीलामी की गई। इस दौरान, A25 प्लाट, जिसका उपयोग ऑफिस, बैंक या गेस्ट हाउस के लिए निर्धारित किया गया था। इसने प्रमुख ध्यान आकर्षित किया। इस प्लाट का रिजर्व मूल्य 1,67,40,000 था लेकिन यह 2,20,13,100 में बिकने में सफल रहा। बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे और आईटी एक्सपर्ट दिनेश सिंह मौजूद रहे। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 04.03.2025

ट्रांसपोर्ट नगर से वीडीए को 3.49 करोड़ की आय

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के प्लाटों की आनलाइन आक्शन (नीलामी) में रिकार्ड सफलता हासिल की है। वीडीए ने वहां 49 प्लाट की बिक्री कर दी है। इससे निर्धारित लक्ष्य से करीब 3.49 करोड़ रुपये अधिक आय हुई है।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए प्लाटों के नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें वीडीए को काफी सफलता मिली। यह नीलामी आठ से 28 फरवरी तक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए प्लाटों की नीलामी की गई। हर प्लाट का एक आरक्षित मूल्य निर्धारित था। एक 450 स्क्वायर मीटर प्लाट की कीमत वीडीए ने 1.67 करोड़ निर्धारित की थी। नीलामी में यह प्लाट 2.20 करोड़ रुपये में बिका। इसी कारण वीडीए ने सभी प्लाट की कीमत 41.07 लाख 99 हजार रुपये निर्धारित की थी। 49 प्लाट निर्धारित मूल्य से बढ़कर 44 करोड़ 57 लाख रुपये में नीलाम हुए। अभी पांच प्लाट की नीलामी होनी है। इसी पांच प्लाटों की नीलामी के लिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को एक बैठक की। बैठक में सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे और आइटी एक्सपर्ट दिनेश सिंह आदि उपस्थित रहे।

आज–दि0 04.03.2025

ट्रांसपोर्टनगर योजनाके प्लाट विक्रयसे विप्रा बना करोड़पति

ट्रांसपोर्ट नगर योजनाको लेकर विकास प्राधिकरण चुस्त व्यवस्था बनाये हुए है। इस क्षेत्रमें ५४ प्लाटोंमें से ४९ प्लाटकी बिक्री हो चुकी है। शेष पांच प्लाटोंकी नीलामीका कार्य किया जायेगा। संबंधित विषयमें सचिव वेदप्रकाश मिश्रा, नगर नियोजक प्रभातकुमार, सहायक सम्पत्ति अधिकारी रमेश दुबे, आईटी एक्सपर्ट दिनेशकी मौजूदगीमें बताया गया कि गत दिनों आठसे लेकर २८ फरवरीतक ट्रांसपोर्टनगरकी योजनामें विक्रय करनेसे दो करोड़ २० लाख १३ हजार सौ रुपया विप्राके कोषमें जमा हुआ। शेष पांच प्लाटोंकी बिक्री जल्द की जायेगी।

आज–दि0 04.03.2025

प्लाटिंगपर चली जेसीबी, निर्मित भवन हुए सील

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर अभियन्ताओंकी टीमने अवैध प्लाटिंगको लेकर विभिन्न क्षेत्रोंमें कारवाई की। वार्ड सिकरौल मौजा ढेलवरियामें बिना अनुमतिके प्लाटिंग पास कराया जा रहा था। यहांपर लगभग चार हजार वर्ग मीटर प्लाटिंगपर निर्माण कार्य भी किया जा रहा था। शिकायतके आधारपर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता प्रिया अग्रहरि, प्रवर्तन दल और निकटम पुलिसके सहयोगसे जेसीबी के माध्यमसे निर्माणको ध्वस्त करा दिया गया। इसी टीमने सिकरौल वार्डके मकान नम्बर एस२०/४७ मौजा आशियाना चौराहापर बिना मानचित्र पास हुए भवनका निर्माण हो रहा था। यहांपर अभियन्ताओंकी टीम पहुंचकर भवनको सील कर दिया और सील करनेके साथ निकटम थानेकी प्रति रक्षामें सौंप दिया। इसी प्रकार भेलूपुर वार्डमें भवन स्वामी निशाद खन्ना बी२७/७८ए-१ गुरुधाममें बिना मानचित्र स्वीकृतके भवनका निर्माण कराया जा रहा था। मौकेपर पहुंचे जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता सोनू कुमार, क्षेत्रीय सुपरवाइजरके सहयोगसे भवनको सील किया गया और निकतम थानेकी अभिरक्षामें सौंप दिया गया।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 04.03.2025

ऑनलाइन ऑक्शन में 49 प्लाट बिके

पांच प्लाटों के लिए बैठक आयोजित

वाराणसी (जागरुक एक्सप्रेस)। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा आयोजित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के ऑनलाइन ऑक्शन में कुल 54 प्लाटों में से 49 प्लाट सफलतापूर्वक बिके। शेष 5 प्लाटों की नीलामी के लिए उपाध्यक्ष महोदय द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे और आईटी एक्सपर्ट दिनेश सिंह उपस्थित रहे। यह ऑक्शन 08 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए प्लाटों की नीलामी की गई। इस दौरान, ए25 प्लाट, जिसका उपयोग ऑफिस, बैंक या गेस्ट हाउस के लिए निर्धारित किया गया था, ने प्रमुख ध्यान आकर्षित किया। इस प्लाट का रिजर्व मूल्य 1,67,40,000 था, लेकिन यह 2,20,13,100 में बिकने में सफल रहा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 04.03.2025

वीडीए ने 100 घंटे में ही पास किया नक्शा

varanasi@inext.co.in

VARANASI (3 March): लहरतारा मोहनसराय रोड से लोहता मुख्य मार्ग पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अल्प आय वर्ग के लिए प्रस्तावित अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र मात्र 100 घंटे से कम अवधि में स्वीकृत किया है. शासन द्वारा फ्लैट सस्ते रहें, इसके लिए भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा विकासकर्ताओं को कई तरह की रियायतें प्रदान करने का आदेश है.

12 मीटर चौड़ी सड़क

नई नीति के अंतर्गत 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बिल्डर न्यूनतम दो हजार वर्गमीटर के भूखंड पर ही फ्लैट बना सकेंगे. कम जमीन पर ज्यादा फ्लैट बन सकें, इसके लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेसियो) भी सड़क की चौड़ाई व क्षेत्र के अनुसार 2.50 तक रहेगा. डेन्सिटी भी बढ़ाकर 800 फ्लैट प्रति हेक्टेयर की गई है. जनसंख्या घनत्व से मुक्त किए जाने से बिल्डर को बेसिक विकास शुल्क ही देना होगा.

126 फ्लैट की सुविधा

परियोजना के अंतर्गत बेसमेंट एवं स्टिल्ट पर पार्किंग एवं प्रथम से सप्तम तल प्रत्येक तल पर 18 फ्लैट कुल 126 अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग फ्लैट की अवधारणा की गयी है. इसके अतिरिक्त परियोजना में कुल 140 कार पार्किंग एवं आवश्यकतानुसार दो पहिया वाहनों की नियमानुसार पर्याप्त पार्किंग प्रस्तावित है. परियोजना में स्टिल्ट तल पर दुकान, कम्यूनिटी सेंटर तथा अन्य सुविधाएं यथा वाशरूम, लिफ्ट,सीढ़ी इत्यादि का प्रावधान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध फ्लैट का फ्लोर एरिया 43 वर्गमीटर से 110 वर्गमीटर का है.

"इस परियोजना में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम होने के कारण आम जनमानस को सस्ते दर पर आवास की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेंगी तथा क्षेत्र विशेष का नियोजित विकास किया जा सकेगा.

पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए

न्यायाधीश–दि0 04.03.2025

प्राधिकरण ने 100 घंटे से कम समय में स्वीकृत की अल्प आय वर्ग के लिए अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम

वाराणसी ।लहरतारा मोहनसराय रोड से लोहता मुख्य मार्ग पर सनबीम स्कूल के पास वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अल्प आय वर्ग हेतु प्रस्तावित अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र मात्र 100 घंटे से कम अवधि में स्वीकृत किया गया है। ज्ञातव्य हो कि शासन द्वारा फ्लैट सस्ते रहे इसके लिए भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा विकासकर्ताओं को कई तरह की रियायतें प्रदान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के नए मानकों का शासनादेश जारी होने पर किफायती फ्लैट का निर्माण करने के लिए विकासकर्ता अब तेजी से इच्छुक हो रहे हैं। नयी नीति के अंतर्गत अब 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बिल्डर न्यूनतम दो हजार वर्गमीटर के भूखंड पर ही फ्लैट बना सकेंगे। कम जमीन पर ज्यादा फ्लैट बन सकें इसके लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेसियो) भी सड़क की चौड़ाई व क्षेत्र के अनुसार 2.50 तक रहेगा। डेन्सिटी (घनत्व) भी बढ़ाकर 800 फ्लैट प्रति हेक्टेयर तक की गई है। जनसंख्या घनत्व से मुक्त किए जाने से बिल्डर को बेसिक विकास शुल्क ही देना होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत विकासकर्ता मे. कृपया निधि होम्स पाट.'श्री संतोष कुमार दुबे उर्फ राजन दुबे व अन्य द्वारा आराजी नंबर- 393 खा, 394 मौजा- परमानंदपुर और आराजी नंबर- मि. 311/1, 311/2, मि. 312, 312/2, मौजा-केशरीपुर, परगना-देहात अमानत, जिला-वाराणसी पर डरोहनिया हाइटसड नाम से अल्प आय वर्ग हेतु 5704.48 वर्ग मीटर नेट क्षेत्रफल भूमि पर प्रस्तावित अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र आनलाइन जमा किया था, जिसे वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानचित्र अनुभाग द्वारा उक्त बेसमेंट, स्टिल्ट एवं 07 तलों के 126 यूनिट के (अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग फ्लैट) के मानचित्र को मात्र 100 घंटे से कम समयावधि मे पास कर दिया गया।

वीडीए जोन-1 की टीम ने की अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड- सिकरौल के अन्तर्गत अज्ञात के द्वारा मौजा- ढेलवरिया, बघवानाला, में वरुणा कारीडोर के 50 मीटर के अन्दर लगभग 4000 वर्गमीटर की अवैध प्लाटिंग बिना ले -आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी,उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 03.03.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता प्रिया अग्रहरि प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

वीडीए द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 वार्ड-सिकरौल के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत राजाराम यादव, मकान नं-एस.20/47, मौजा- आशियाना चौराहा,वरुणा पुल,वार्ड- सिकरौल, जिला- वाराणसी मे बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 9.10 मी0 25.50 मी में (उ02) भूतल पर भवन का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियो एवं सटरिग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी थी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।